राजस्व वाद 102/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00141
हरेन्द्र सिंह वगैरह बनाम रामप्रताप वगैरह

— : : आदेश : : —

ात् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान ारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जानेवा पूर्व के खेत खसरा नंबर 112/1, 1, 226/112 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ तेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव संख्या ांक 09.11.2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेराट के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया है।

वादी संख्या 1 हरेन्दसिंह जान्दु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 112/2 रकबा में से 3.4398 हैक्टेयर संलग्न नजरीनक्शानुसार पूर्वी हिस्सा, खेत खसरा नंबर 121/1 में से 1.8413 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा गया है।

वादी संख्या 1 अनिल जांदू के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जानेवा पूर्व का खेत खसरा नंबर 112/1 में से 2.9542 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खेत खसरा नंबर 121/1 में से 1.8413 हैक्टेयर बीघा पश्चिमी हिस्सा व खेत खसरा नंबर 266/112 रकबा 0.04856 पूरा रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के उक्त खेतायों में से कोई भूमि बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिये जाने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

नोट—बैंक के रहन खसरासन् के संबंध में संबधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक ....09/11/2021.... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी सरे इजलास सुनाया गया।

09/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल